आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणीः तारीख–सहित
29/4/16	**आदेश** विविध वाद संख्या–103/2012–13 अंजु कुमारी बनाम कुमारी सुषमा गुप्ता व अन्य का मामला परियोजना बाराहाट, पंचायत–गोड़धावर, ग्राम–कोलहथा, आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–25 के तहत् सेविका पद पर हुए चयन से संबंधित है जिसके संबंध में आवेदिका अंजु कुमारी द्वारा आपत्ति उठायी गयी है। मामले के संबंध में विद्वान जी0पी0 से मंतव्य प्राप्त किया गया है। दिनांक 09.07.2015 को मंतव्य दिया गया है कि– "आवेदिका अंजु कुमारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या–7306/2009 दायर किया गया था तथा माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 02.08.2011 को केश वापस ले लिया है कि विभागीय स्तर पर Remedies प्राप्त करेंगी परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर कोई Observation नहीं दिया गया है तथा केश वापसी लेने के कारण याचिका खारिज किया गया है। अब आवेदिका द्वारा जिला पदाधिकारी, बांका के न्यायालय में आवेदन दिया है। विषय आंगनबाड़ी सेविका के चयन से संबंधित है तथा आवेदिका द्वारा विपक्षी/सेविका के चयन पर आपत्ति दर्ज किया गया है परन्तु समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 2354 दिनांक 17.05.2013 के आलोक में आवेदिका का आवेदन यहॉ विचारण हेतु योग्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में ऐसा कोई निर्देश उक्त याचिका में नहीं दिया गया है।" विपक्षी (सेविका) उपस्थित है तथा अपना जबाव एवं कागजात दाखिल किया गया है। निर्धारित तिथि पर आवेदिका ने स्वयं अपना पक्ष रखा। सेविका की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया। सुना गया। बहस के आलोक में अभिलेख का परीक्षण किया। आवेदिका के द्वारा अन्य कागजातों के साथ तत्कालिन जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र सं0– 25 के संबंध में दिनांक 08.12.2008 एवं दिनांक 27.012.2008 को पारित आदेश की प्रति दाखिल किया गया है। विपक्षी (सेविका) द्वारा सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या–7306/2009 अंजु कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2001 को पारित आदेश की प्रति दाखिल किया है। माननीय न्यायालय का आदेश यह है कि– "After some argument leave is sought to withdraw the application to pursue departmental remedies. The court makes no observation with regard to the same. The application is dismissed as withdrawn." वर्त्तमान व्यवस्था के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के संबंध में उठायी गयी आपत्ति पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के	

आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी सुनवाई हेतु सक्षम प्राधिकार है।

यहाँ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश के विरूद्ध मामला नहीं लाया गया है बल्कि तथ्य यह है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–25 के संबंध में तत्कालीन पदाधिकारी, बांका द्वारा दिनांक 27.012.2008 को पारित आदेश के संबंध में विविध आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदिका वर्ष 2009 में माननीय उच्च न्यायालय गयी तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2011 के पश्चात दिनांक 04.09.2012 को जिला पदाधिकारी, बांका के न्यायालय में विविध आवेदन दाखिल किया गया है परन्तु अपने आवेदन में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में अपने आवेदन में कोई जिक्र ना कर इस न्यायालय के समक्ष तथ्य छिपाने की कार्रवाई की गई है जिसे विपक्षी (सेविका) द्वारा उजागर किया गया है।

स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2011 में इस संबंध में कोई Observation नहीं किया है एवं याचिका खारिज कर दी गई है।

आवेदिका ने अपने आवेदन में जिन आपत्तियों को अब उठाया है मेधा सूची संधारण करने के समय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बाराहाट तथा बाद में यथा वर्ष 2008 में तत्कालीन जिला पदाधिकारी, बांका के समक्ष मामले में विचार किए जाने के दौरान उठाया जा सकता था। यदि आपत्ति दर्ज की गई थी तो इसका साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। नया Issue उठाने का अब कोई औचित्य नहीं है तथा इससे Res-Judicata का नियम लागू होता है। फलस्वरुप विविध आवेदन विचारण योग्य नहीं है।

दिनांक 04.09.2012 के विविध आवेदन में यह परिवाद किया गया है कि सेविका का चयन गलत एवं फर्जी है प्रमाण–पत्रों के आधार पर हुआ है।

इस संबंध में आवेदिका के द्वारा जनता दरबार में दिए गए आवेदन पत्र पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका द्वारा जॉच किया गया है एवं अपने पत्रांक 1725 दिनांक 24.08.2012 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित कर कहा गया है कि जॉचोपरान्त कुमारी सुषमा गुप्ता (सेविका) का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र सही पाया गया। उक्त पत्र अभिलेख पर दाखिल भी किया गया है।

अतः सम्पूर्ण तथ्यों एवं विधिक पहलूओं पर विचारोपरान्त आवेदिका द्वारा लाया गया विविध आवेदन ग्रहण योग्य नहीं है। इसे अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

29.4.16

जिलापदाधिकरी,
बांका

29.4.16

जिला पदाधिकारी,
बांका